मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 9 / 11 / 2012

क्रमांक 1751/1965/2012/तीस : माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रं. 4159/2006 एवं डब्ल्यू.पी. 1220/2012 में पारित निर्णय दि. 17.09.2012 के परिपालन में पुरातत्व संचालनालय के अधीन तीन सदस्यीय समिति गठित कर दि. 11.10.2012 को स्मारक स्थल के निरीक्षण किया गया। समिति के प्रतिवेदन दि. 19.10.2012 पर महाधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय जबलपुर का अभिमत दि. 25.10.2012 को प्राप्त किया गया। श्री दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र कुण्डलगिरी, कुण्डलपुर, जिला दमोह द्वारा उनके आवदेन दि. 24.09.2012 के साथ प्रस्तुत संलग्न मानचित्र के अनुरूप निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्न सत्यापित मानचित्र के अनुसार मंदिर निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. कुण्डलगिरी पहाड़ी पर बड़े बाबा की प्रतिमा व अन्य भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थल पर विद्यमान है, जिसको खुले में रखने से धूप, बारिश तथा वायु मण्डलीय प्रभाव से उनकी क्षति होना संभावित है। जन भावनाओं को एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए उनके अर्द्ध निर्मित मंदिर को पूर्ण करना, प्रतिमा की सुरक्षा के लिए उपयुक्त होगा।

2. मंदिर निर्माण दौरान पुरातत्वीय महत्व की प्रतिमा बड़े बाबा (आदिनाथ) तथा पार्श्वनाथ प्रतिमा कुण्डलपुर को कोई क्षति न पहुंचे।

3. प्राचीन प्रतिमाओं के स्वरूप को मूल स्थिति में रखे, कोई सामग्री का लेप न लगाये जिससे उनके प्राचीन मूल रूप पर विपरीत प्रभाव पड़े।

4. प्रश्नाधीन स्थल पर सभी व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश संबंधी शुल्क नहीं लगाया जायेगा।

5. प्रश्नाधीन स्थल की सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाऐं संस्था द्वारा स्वयं की जावेंगी।

6. प्रश्नाधीन स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण/पुर्ननिर्माण आदि कार्य के लिए नियमानुसार संबंधित विभाग/संस्था से अनुमति लेकर किया जायेगा।

7. प्रश्नाधीन स्थल पर स्थापित प्राचीन मूर्ति आदि का अंतरण, स्थानांतरण एवं विक्रय आदि की कार्यवाही नहीं की जावेगी।

8. प्राचीन प्रतिमा की सुरक्षा का दायित्व न्यास कुण्डलगिरी, कुण्डलपुर का होगा। मंदिर निर्माण दौरान उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों की सूचना पुरातत्व संचालनालय एवं संबंधित को अनिवार्यतः दी जाये।

Daily

Scanned by CamScanner

9. समय–समय पर विभाग के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग, स्थल निरीक्षण दौरान प्रदान करेंगे।

10. इस अनुमति को अन्यत्र उदाहरण न माना जावे।

11. यह मंदिर निर्माण की अनुमति मात्र 10 वर्ष की समयावधि तक ही प्रभावशील रहेगी।

संलग्न :– सत्यापित मानचित्र।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.पी. सिंह)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

पृष्ठा क्रं. 1752/1965/2012/तीस
भोपाल, दिनांक 9/11/2012

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. पुलिस महानिर्देशक, पुलिस मुख्यालय, म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त, सागर संभाग, सागर।
5. कलेक्टर, जिला दमोह म.प्र.।
6. पुलिस अधीक्षक, दमोह म.प्र.।
7. चीफ कन्जरवेटर फारेस्ट विभाग, भोपाल।
8. सचिव, म.प्र. शासन, खनिज संसाधन विभाग भोपाल
9. महाधिवक्ता मान. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर उनके पत्र क्रं. 12681 दिनांक 25.09.2012 तथा अभिमत पत्र क. क्यू 1 दि. 25.10.2012 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
10. अधीक्षण पुरातत्वीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्यवृत जी.टी.वी. काम्पलेक्स भोपाल की ओर उनके पत्र क्रं. 29/101/12/कोई/6256 दिनांक 04.10.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. श्री संतोष कुमार सिंघाई, अध्यक्ष श्री दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र कुण्डलगिरी, कुण्डलपुर जिला दमोह की ओर उनके आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विनोद कटेला)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

Daily

Scanned by CamScanner